मिसल नम्बर 03/2021
निर्णय दिनांक 10-02-2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :- **03/2021**

सरकार

बनाम

श्रीमती किस्तुरी देवी पत्नी श्री कैलाशचन्द्र जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

....................गैर सायला

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 10-02-2021

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायला को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर गैर सायला किस्तुरी देवी पत्नी श्री कैलाशचन्द्र जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने कड़ब डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायला के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिकमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस गैर सायला द्वारा सम्यक रुप से तामिल होने के बावजूद गैर सायला अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायला किस्तुरी देवी पत्नी श्री कैलाशचन्द्र जाति गुर्जर निवासी दूधवा खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर कड़ब डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायला को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है।

अतः पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनूं (राज.)

मिसल नम्बर 03/2021
निर्णय दिनांक 10–02–2021

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में गैर सायला की अनुपस्थिति में गैर सायला के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायला को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायला से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायला की **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10–02–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

तह. (कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुंझुनूं (राज.)

पत्रावली की मांग कायमी रजि. में वर्ष 2020-21 पृष्ठ 10 क्र. सं. 50 पर ली गई है
लेखाकार
[illegible]